



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276218
CG-DL-E-15092026-276218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4806]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4806]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4996(अ).—चूंकि, केंद्र सरकार संतुष्ट है कि पशुओं में नीचे सूचीबद्ध किसी भी रोगाणुरोधी या रोगाणुरोधी समूहों और उनके योगों वाले औषधि योगों का उपयोग मनुष्यों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

और, चूंकि, पशुओं के उपयोग के लिए उक्त दवाओं के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और, चूंकि, केंद्र सरकार संतुष्ट है कि पशुओं के उपयोग के लिए नीचे सूचीबद्ध किसी भी रोगाणुरोधी औषधीय उत्पादों के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद एतद्वारा यह प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जिससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें यह प्रारूप अधिसूचना शामिल है, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल-सी विंग, पहली मंजिल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली, 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं या drugsdiv-mohfw@gov.in पर ईमेल किए जा सकते हैं।

पशुओं के उपयोग के लिए निम्नलिखित रोगाणुरोधी और रोगाणुरोधी समूहों तथा उनके योग: -

1. एंटीबायोटिक्स

i. कार्बोक्सीपेनिसिलिन

ii. फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स

[फ़ा. सं. एक्स.11035/125/2024-डीआर]

पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4996(E).— Whereas, the Central Government is satisfied that the use of drug formulations containing any antimicrobials or group of antimicrobials and their formulations as listed below in animals are likely to involve risk to Humans.

And, whereas, safer alternatives to the said drugs for animal use are available;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the Import, manufacture, sale, and distribution of any antimicrobial medicinal products as listed below for animal use;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the draft notification is hereby published after consultation with the Drugs Technical Advisory Board for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft notification are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, U-6, Work Hall- C Wing, First Floor, Kartavya Bhawan-1, New Delhi, 110001 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

Following antimicrobials and groups of antimicrobials and their formulations for animal use: -

1. Antibiotics

(i) Carboxypenicillins

(ii) Phosphonic acid derivatives

[F. No. X.11035/125/2024-DR]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.